हम, भारत के बच्चे

हमारे संविधान की उद्देशिका

लेखन: लीला सेठ
चित्रांकन: बिंदिया थापर

पठन स्तर ४

Original Story in English **'We, the Children of India The Preamble to our Constitution'** by Leila Seth
© Leila Seth, 2010

Illustrations: Bindia Thapar
© Bindia Thapar, 2010

Photographs on pages 6, 7, 13, 29, 30, 32-35 courtesy the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi
Photographs on pages 9, 12 courtesy the India International Centre Library, New Delhi

First Published in English by Puffin, Penguin Books India 2010

'Hum Bharat Ke Bacche Hamare Samvidhan Ki Uddeshika'
Hindi Translation by Manisha Chaudhry
Calligraphy on cover page and page 39 by Rajeev Kumar
© Pratham Books, 2013

Third Hindi Edition: 2020

ISBN: 978-81-8479-435-9

Printed by: J.K. Offset Graphics Pvt. Ltd., New Delhi

Published by: Pratham Books | **www.prathambooks.org**

Registered Office:
PRATHAM BOOKS
#621, 2nd Floor, 5th Main, OMBR Layout, Banaswadi, Bengaluru 560 043
T: +91 80 42052574 / 41159009

Regional Office: New Delhi | T: +91 11 41042483

The development of this book has been supported by

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Scan the QR code to read many more children's stories for free on Pratham Books' digital platform, StoryWeaver.

हम, भारत के बच्चे

हमारे संविधान की उद्देशिका

लेखन

लीला सेठ

चित्रांकन

बिंदिया थापर

हिन्दी अनुवाद

मनीषा चौधरी

प्यारे बच्चों

मैंने भारत के संविधान की उद्देशिका पर यह किताब तुम्हारे लिये लिखी है। इसमें मेरी दोनों पोतियों अनामिका और नन्दिनी ने मेरी मदद करी। अनामिका पाँच साल की है और नन्दिनी आठ। हम सब मानते हैं कि अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। (किसी भी देश के लोगों को उस देश के नागरिक कहते हैं।) अच्छे नागरिक हम तभी बन सकते हैं जब हम संविधान के उद्देश्यों को मानें। यह उद्देश्य उद्देशिका यानि संविधान के पहले लम्बे वाक्य में दिए गए हैं। अच्छे नागरिक बनने के लिये ज़रूरी है कि हम उद्देशिका को अच्छी तरह समझें जिससे कि उसका भाव हमारे अंदर बैठ जाये।

गणतंत्र दिवस, २०१०

लीला सेठ

इस किताब के चित्र स्मितु को समर्पित हैं और माओ और अमित के लिये हैं।

बिंदिया थापर

बहुत साल पहले, शायद दादा-दादी के पैदा होने से भी पहले भारत आज के जैसा देश न था। भारत के लोग जिससे चाहें बात नहीं कर सकते थे, जहाँ मन चाहे काम नहीं कर सकते थे और देश के नियम क्या हों- यह भी तय नहीं कर सकते थे।

यह सब बातें तय करना अंग्रेज़ों के हाथ में था जो कि दूर देश से आये थे। वे आये तो व्यापार करने के लिए थे पर शासक बन कर करीब २०० साल तक यहाँ रहे।

अनेक भारतवासियों को अंग्रेज़ों की ज़बरदस्ती अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि उन्हें अपनी सोच, पढ़ाई व काम के तरीके, सब बदलने को मजबूर किया जा रहा था। उन्हें इस बात से भी नाराज़गी थी कि उनके लिए कुछ ख़ास कामों पर पाबन्दी थी और कुछ ख़ास जगहों पर जाने की मनाही। कुछ भारतवासियों ने मिल के सोचा कि अंग्रेज़ों को भारत से कैसे हटायें। शुरू में उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बन्दूकें व हथियार उठाये। कुछ लोगों को चोटें आईं, कुछ की जान गई पर कुछ बदला नहीं।

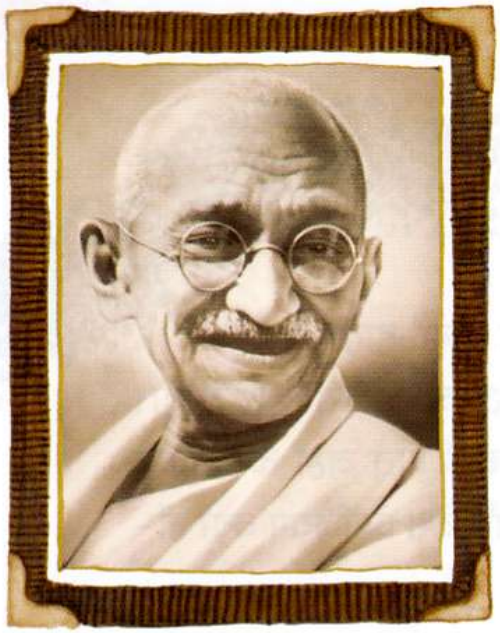

१८६९ में गुजरात में मोहनदास करमचन्द गाँधी का जन्म हुआ। उन्हें हम महात्मा गाँधी या बापू के नाम से जानते हैं। जब वे करीब बीस साल के हुए तो उन्हें लगा कि सच बोलने से, शान्त रहने से व निडर रहने से ही बदलाव आ सकता है। जो लोग भारत को आज़ादी दिलाने के लिये काम कर रहे थे बापू उनके नेता बन गये। उनका कहना था कि हथियारों से लड़ने से भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी बल्कि भारत अहिंसा से आज़ाद होगा। अहिंसा यानि बिना हथियारों की लड़ाई, यानि शान्ति से। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिये यानि ख़ुद पे भरोसे के लायक। हमें अपने भले-बुरे की ख़ुद सोच के, अंग्रेज़ों के उन आदेशों को नहीं मानना चाहिये जो हमें उचित नहीं लगते।

बापू बॉम्बे (मुंबई) में समुद्रतट पे चलते हुए।

१४ अगस्त १९४७ में आधी रात को जवाहरलाल नेहरू का भाषण। इस भाषण में उन्होंने 'अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' के अब मशहूर शब्द इस्तेमाल किये। इनका मतलब है 'अपने भाग्य से मुलाकात'।

कई साल के संघर्ष के बाद भारत १५ अगस्त १९४७ में एक स्वतंत्र देश बना। तब से हमारा एक आज़ाद देश है जहाँ हम नागरिक (यानि इस देश के लोग) यह ख़ुद तय करते हैं कि हमारी सरकार कैसे चुनी जाये और वह कैसे काम करे और हम अपना जीवन व औरों का जीवन बेहतर कैसे बनायें।

जब हम आज़ाद हुए हमने कुछ खास बातें तय कीं।

हमारा राष्ट्र गान - जन गण मन

हमारा झंडा - तिरंगा

हमारा राष्ट्रीय चिन्ह

हमारा राष्ट्रीय पशु

हमारा राष्ट्रीय पक्षी

हमारा राष्ट्रीय फूल

हमने एक राष्ट्रीय किताब भी लिखी जिसे भारत का संविधान कहते हैं। इसमें वे सब विचार व नियम हैं जिनसे हमारा देश चलता है। यह हमारे देश की सबसे अहम् किताब है। यह उद्देशिका से शुरू होती है, यानि इसकी भूमिका से। यह उद्देशिका मानो संविधान की रूह है। इसमें हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य लिखे गये हैं जैसे कि न्याय और बराबरी (न्याय यानि जो उचित या सही का फैसला करे)।

उद्देशिका में क्या है? उसका मतलब क्या है, यह कैसे लिखी गयी और इसे किसने लिखा? अब हम इन सब की बात करेंगे।

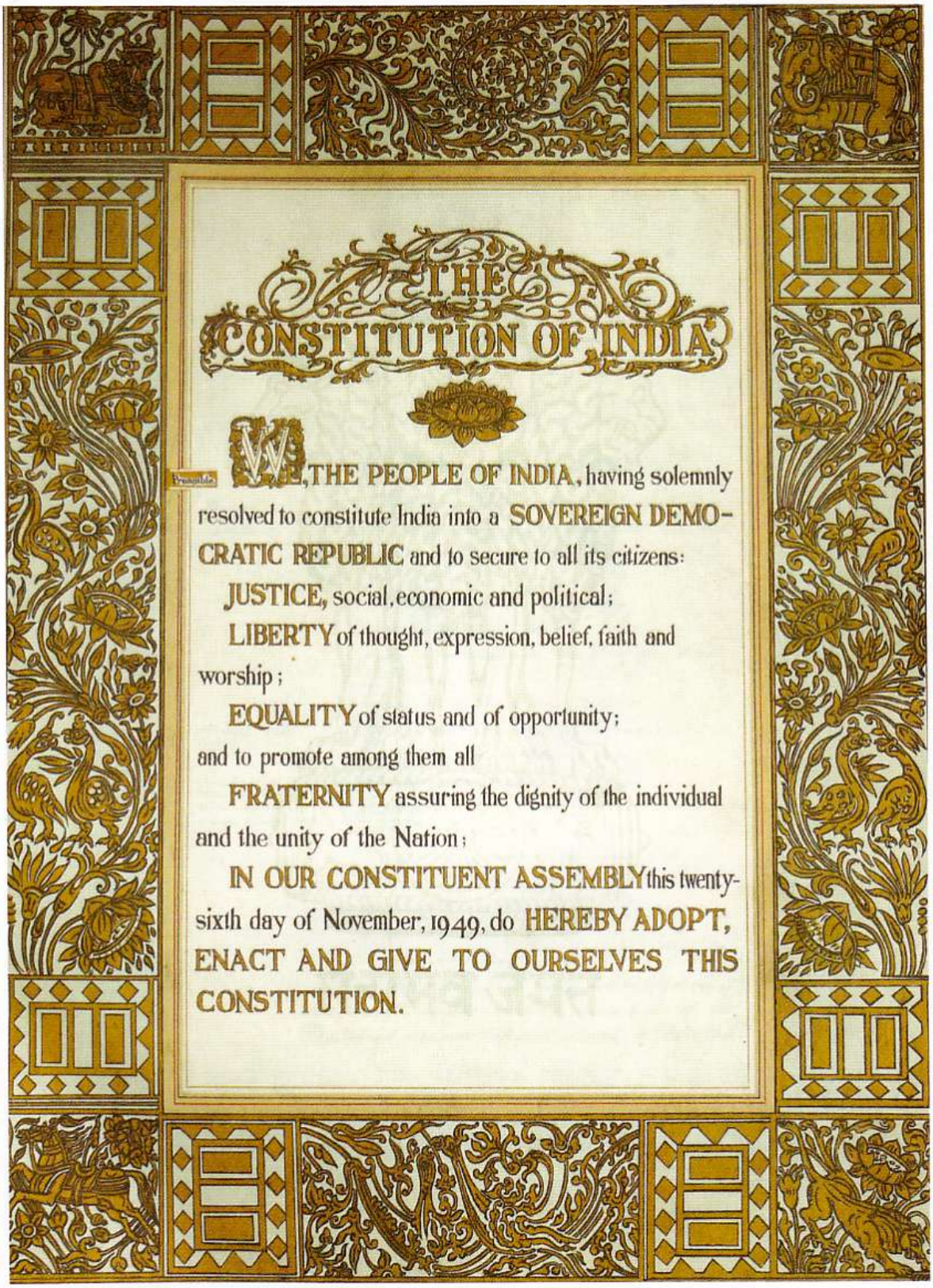

भारत के संविधान की उद्देशिका

१९७७ की शुरूआत में उद्देशिका को थोड़ा बदला गया। **'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष'** व **'अखंडता'** - यह शब्द उसमें जोड़े गये।

उद्देशिका में अब लिखा है –

हर नागरिक के मूल अधिकार हमेशा से हमारे संविधान में रहे हैं पर १९७७ से मूल कर्तव्य का विचार भी इसमें जोड़ा गया। देश की सुरक्षा के लिये तैयार रहना, भाईचारे व बहनचारे को बढ़ावा, हमारे वनों, झीलों, नदियों व वन्य जीवन की देखरेख, और श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करना इसमें शामिल हैं।

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवंबर, १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

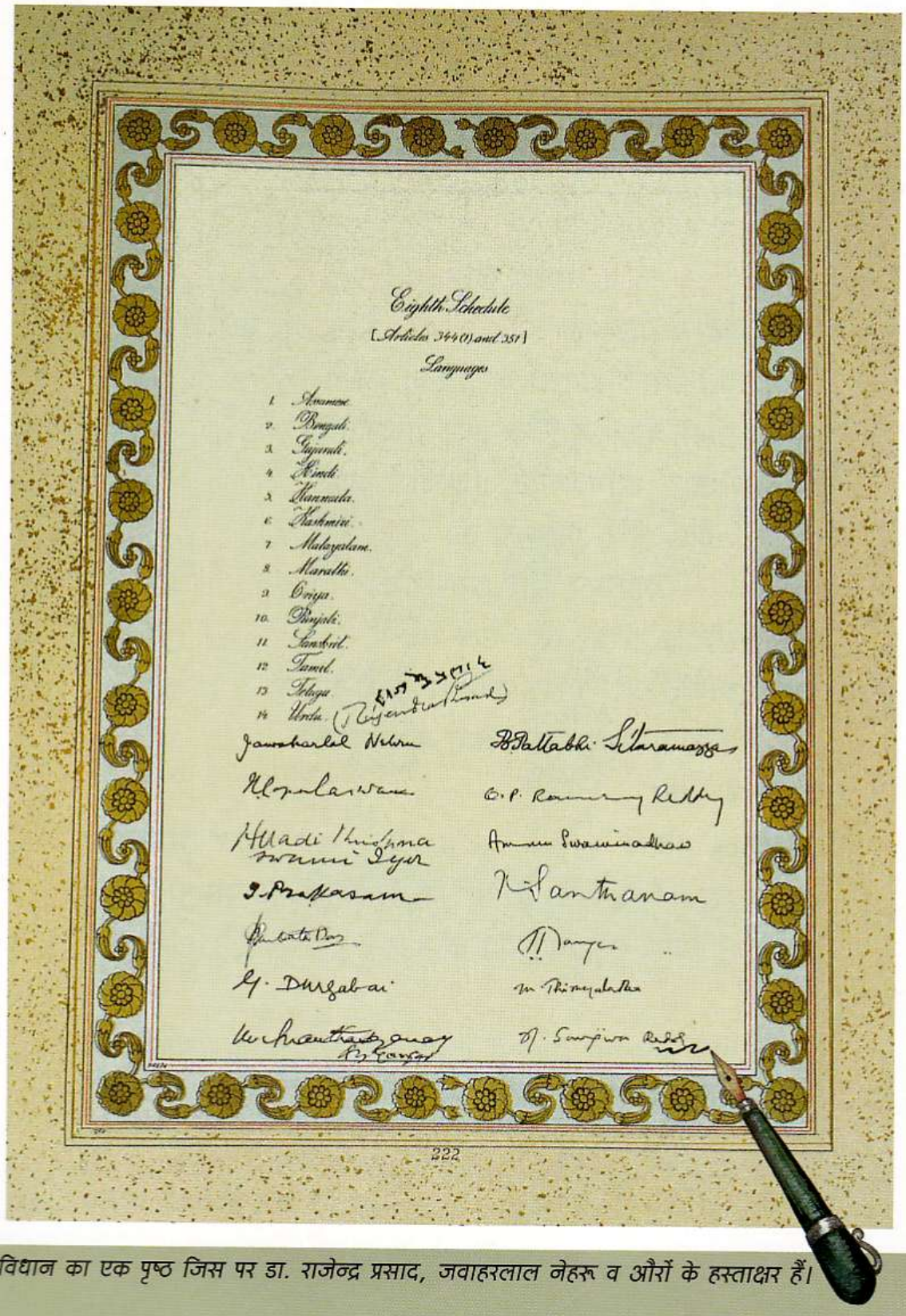

संविधान का एक पृष्ठ जिस पर डा. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू व औरों के हस्ताक्षर हैं।

१९५० में संविधान पर हमारे पहले राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद, हमारे पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व कई और लोगों के हस्ताक्षर हैं।

जवाहरलाल हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे और वह उस पल इतने रोमांचित थे कि उन्होंने राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये जगह ही नहीं छोड़ी! राष्ट्रपति ने किसी तरह से पंडित नेहरू के हस्ताक्षर के ऊपर अपने हस्ताक्षर किये।

जवाहरलाल नेहरू भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए।

यह संविधान है क्या?

यह ऐसी किताब है जिसमें एक देश के लोगों की सम्मति से माने गये विचार, नियम, वादे व कर्तव्य दिये गये हैं। यदि नागरिक चाहें तो समय-समय पर इसमें बदलाव भी ला सकते हैं। पर आम तौर पर, देश का सबसे महत्वपूर्ण कानून होने के नाते ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है।

१९४७ में जब भारत को अंग्रेज़ी शासन से छुटकारा मिला, हम यह तय करने की स्थिति में आये कि हमें अपने लिये कैसा जीवन चाहिये तथा हमारे हक़ और फ़र्ज़ क्या होने चाहियें। हमने यह भी तय किया कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिये। हमनें भारत के संविधान में यह सब निर्णय संजोये। यह संविधान उद्देशिका से शुरू होता है।

उद्देशिका के बड़े बड़े शब्द देखकर शायद शुरू में थोड़ी घबराहट हो। पर उन्हें समझने पर पता चलेगा कि यह कितने ज़रूरी हैं।

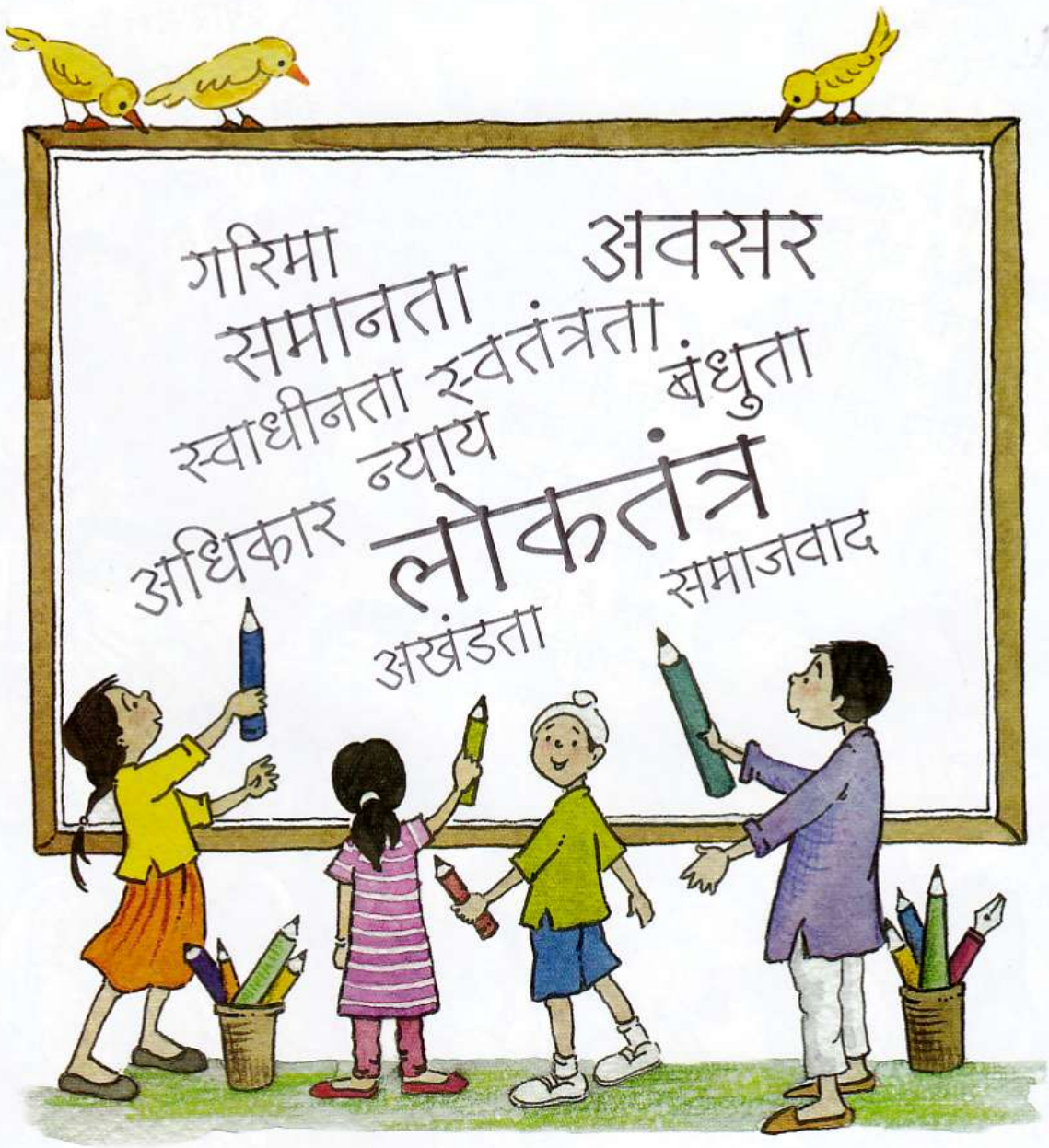

आओ उद्देशिका को फिर से पढ़ें। मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ।

हम, भारत के लोग : इसमें देश के सभी लोग बच्चों समेत शामिल हैं।

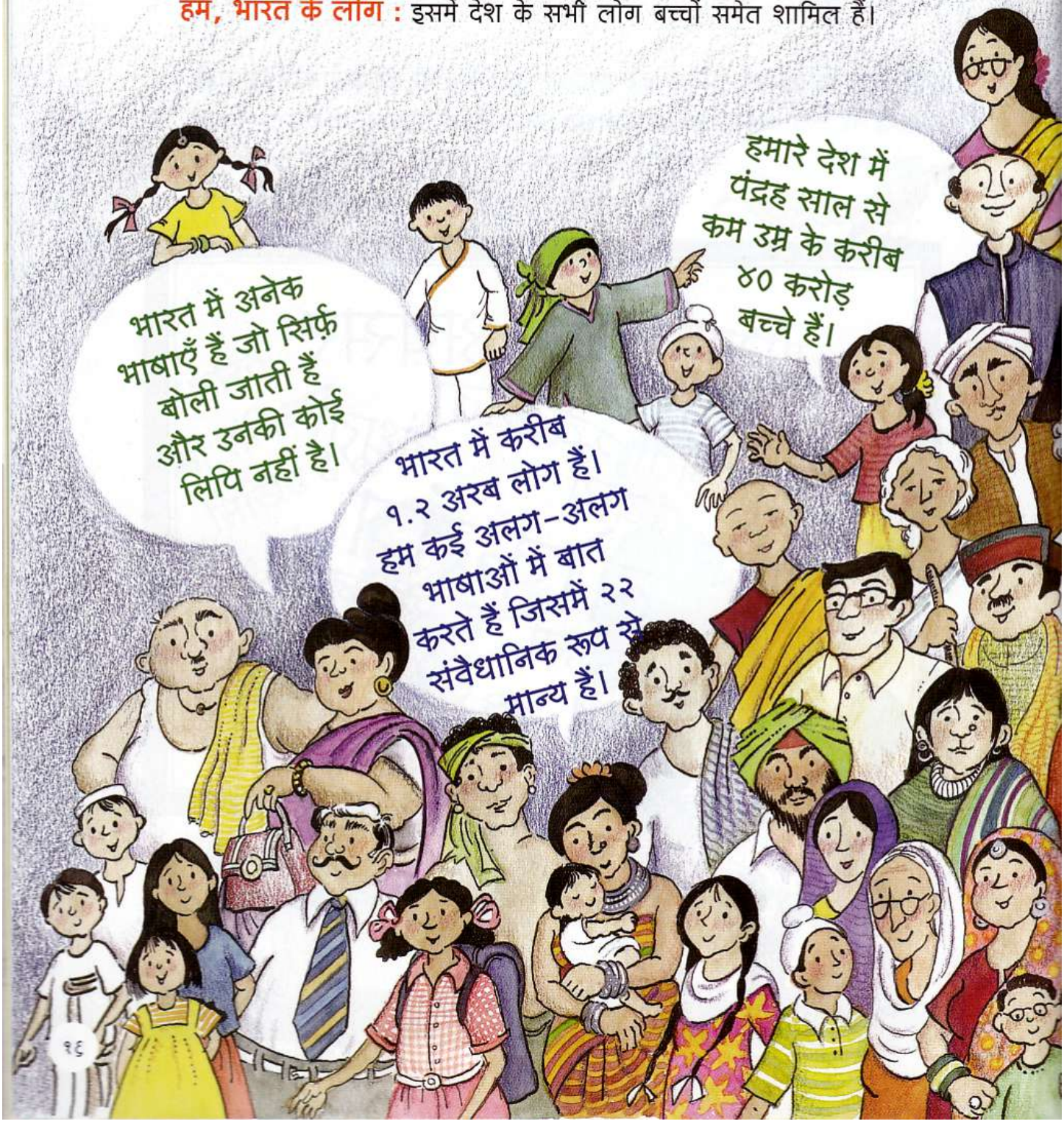

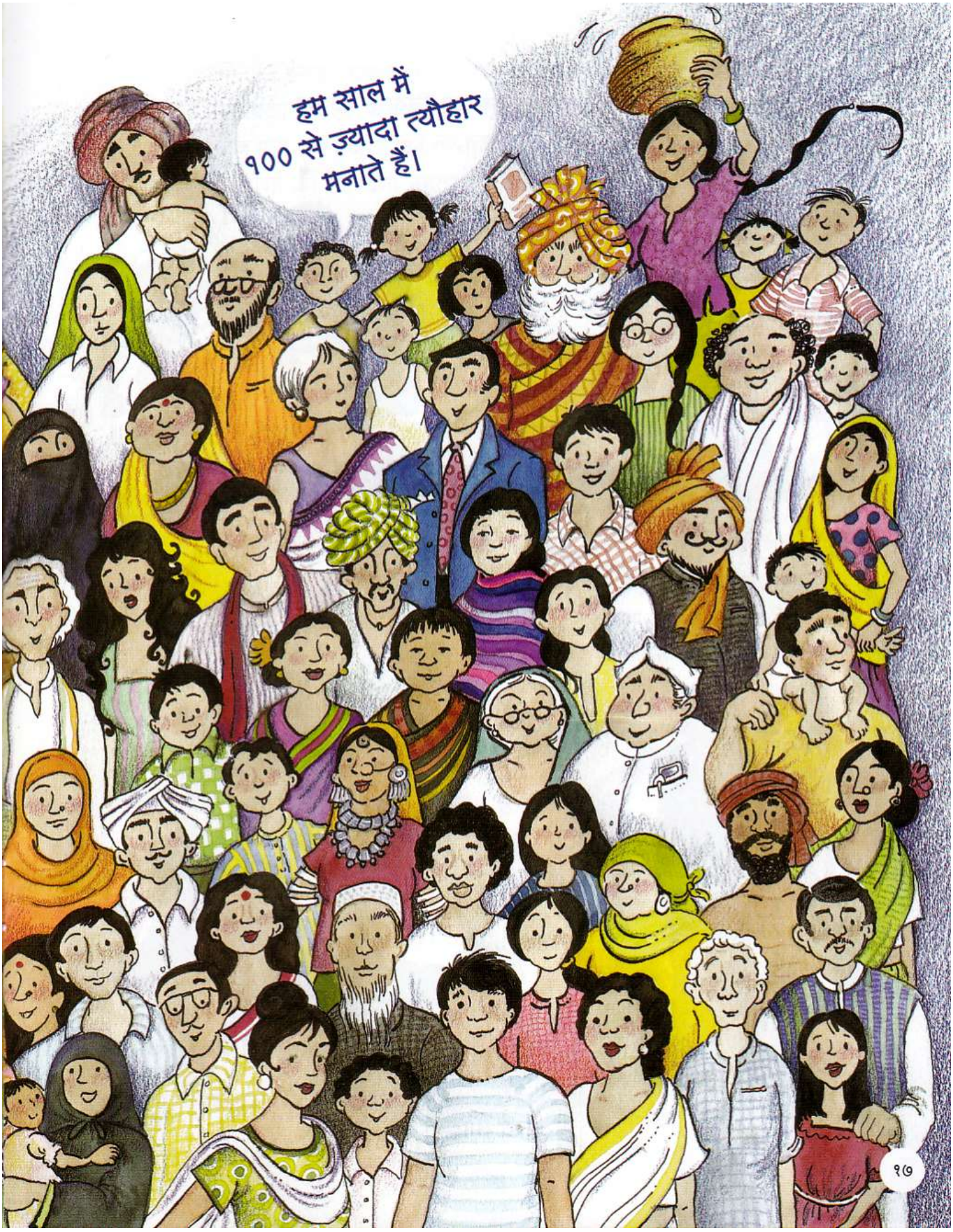
हम साल में
१०० से ज़्यादा त्यौहार
मनाते हैं।

(दृढ़ संकल्प होकर) :

हमने यह तय कर लिया है कि हम
मिल कर **भारत को एक :**

संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न : हम, इस देश के नागरिक ही यह तय कर सकते हैं कि हम क्या करें और कोई दूसरा देश हमें यह नहीं बता सकता।

हालाँकि कोई हमें कुछ करने को नहीं कह सकता, हम दूसरे देशों के साथ व्यापार, शान्ति और जलवायु में परिवर्तन जैसी समस्याओं को सुलझाने के लिये ज़रूरी समझौते कर सकते हैं।

समाजवादी : इसका मतलब है कि देश के लोग मिल के देश की सम्पत्ति बनायें व उस पर सबका हक हो। जब यह शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया तब इन्दिरा गाँधी देश की प्रधान मंत्री थीं। उनका कहना था कि समाजवाद का मतलब था कि भारत के सभी वर्ग के लोगों की ज़िन्दगी बेहतर हो।

पंथनिरपेक्ष : भारत में पंथनिरपेक्ष शब्द से हम यह समझते हैं कि सरकार किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगी। सब धर्मों व मान्यताओं का समान आदर होगा और हम अपनी मर्ज़ी से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों में धर्म एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जायेगा और भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं होगा।

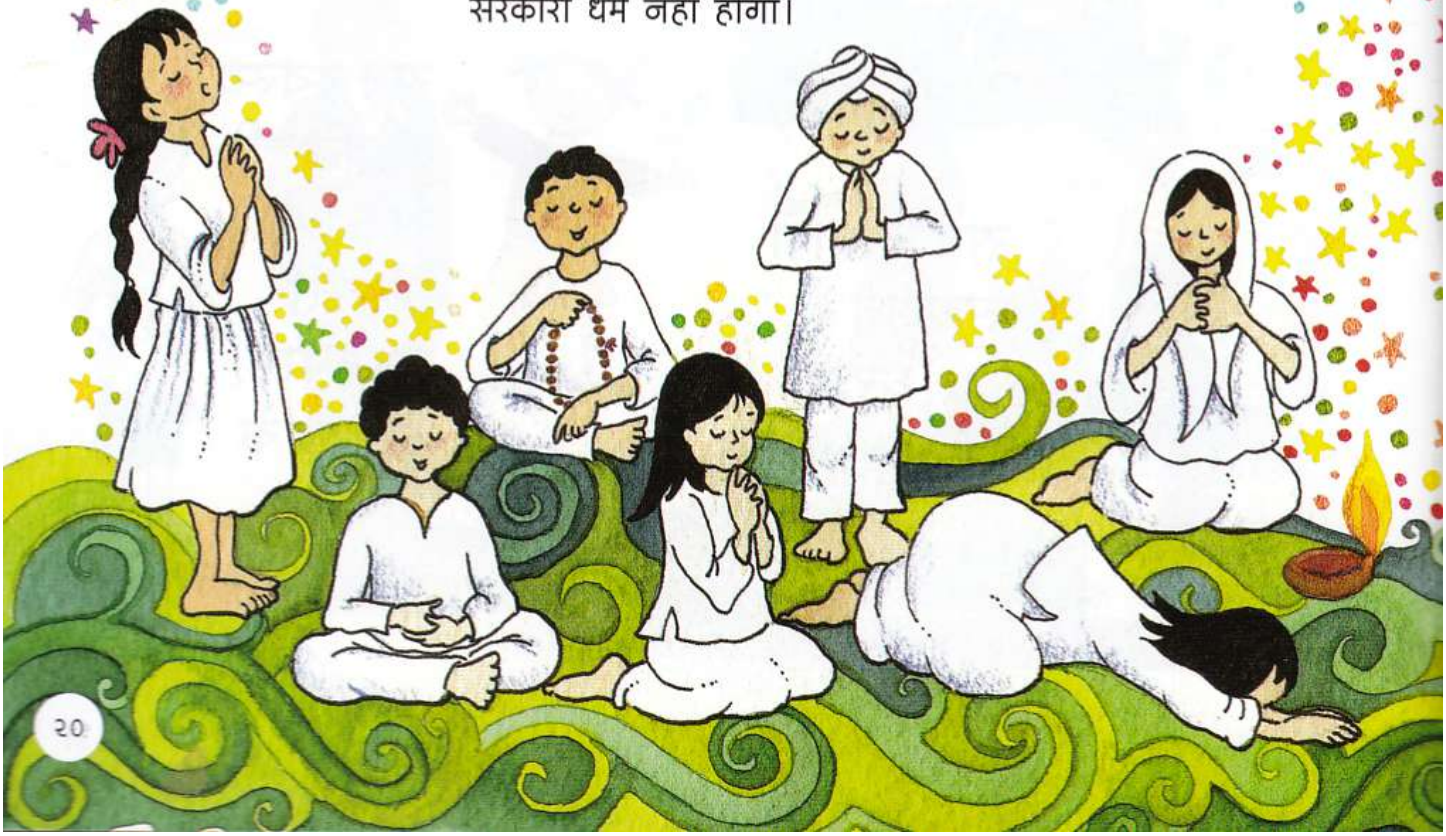

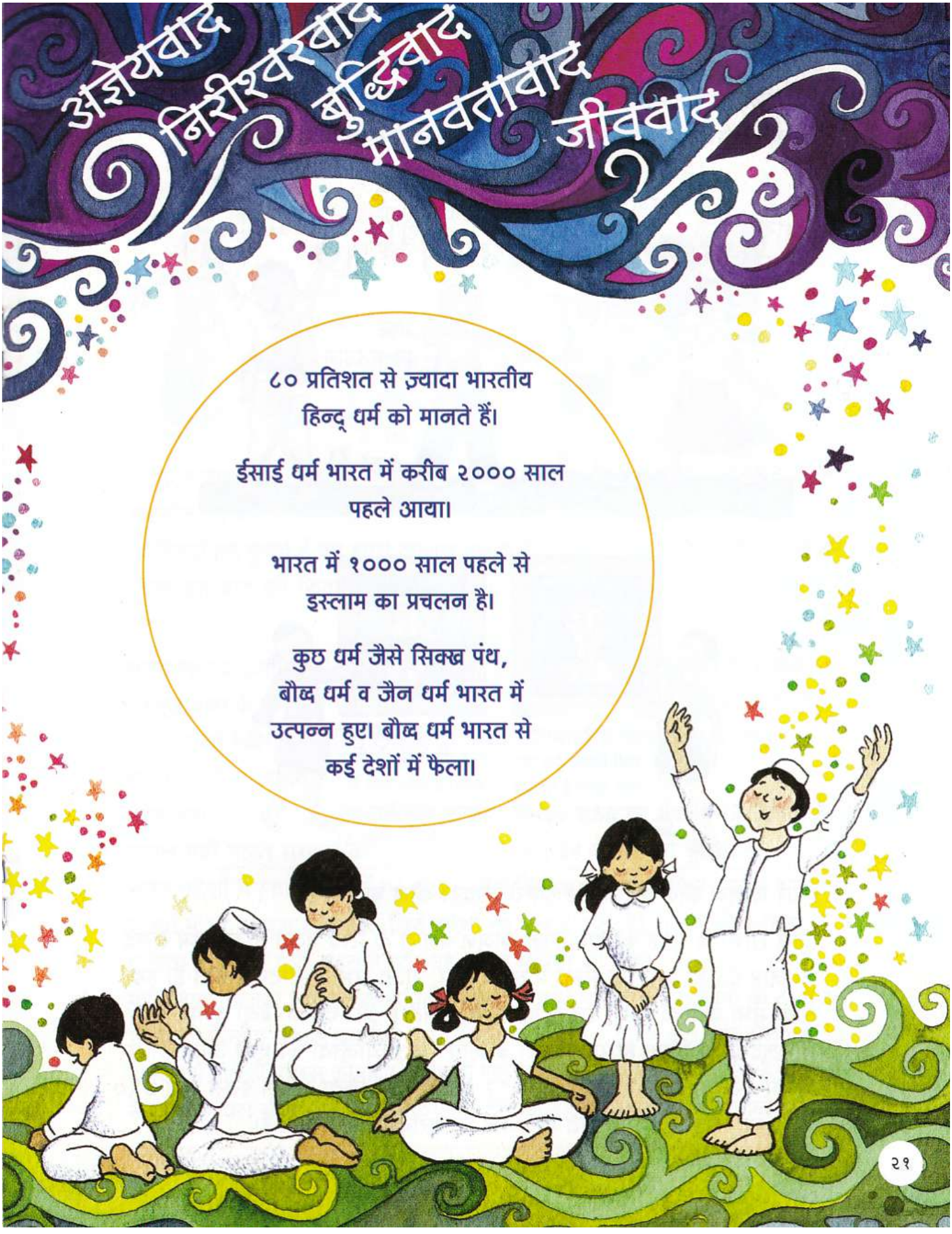

८० प्रतिशत से ज़्यादा भारतीय हिन्दू धर्म को मानते हैं।

ईसाई धर्म भारत में करीब २००० साल पहले आया।

भारत में १००० साल पहले से इस्लाम का प्रचलन है।

कुछ धर्म जैसे सिक्ख पंथ, बौद्ध धर्म व जैन धर्म भारत में उत्पन्न हुए। बौद्ध धर्म भारत से कई देशों में फैला।

लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये : यानि एक ऐसी सरकार जिसमे राजा रानी नहीं हैं- एक ऐसी सरकार जिसे वे लोग चलाते हैं जिन्हें जनता ने खुद चुना है और वे लोगों के भले के लिये काम करते हैं।

जब कोई राजा या रानी किसी देश पर राज करते हैं तो उसे **राजतंत्र** कहते हैं।

जब कोई एक व्यक्ति सब चीज़ों को नियंत्रित करता है और उसी के आदेश चलते हैं तो उसे **तानाशाही** कहते हैं।

हमारे कानून कौन बनाता है? हमारी सरकार कौन चलाता है?

जिन लोगों के समूह को हम अपने कानून बनाने के लिये चुनते हैं उन्हें हम संसद का नाम देते हैं। भारत के संसद में लोक सभा, राज्य सभा व राष्ट्रपति होते हैं। हम लोक सभा के लिये ५४३ स्त्री व पुरुषों को चुनते हैं और दो को बिना चुनाव के नामज़द किया जाता है। राज्य सभा के लिये २३३ व्यक्तियों को चुना जाता है (पर उसका तरीका अलग होता है) और १२ को नामज़द किया जाता। इससे कुल ७९० संसद सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका थोड़ा पेचीदा है।

हर अट्ठारह साल का भारतीय उस चुनाव में मतदान कर सकता है जिससे कि वह उन लोगों को चुने जो हमारे कानून बनायें व देश का शासन चला सकें। मतदाता कोई भी हो सकता है – स्त्री या पुरुष, उसकी आर्थिक स्थिति, शिक्षा, जाति या धर्म का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।

मतदान एक तरीका है जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार का चुनाव करते हैं।

मतदान खुला या गुप्त हो सकता है। जब आप हाथ उठा कर खेल के मैदान में फुटबॉल या बास्केटबाल खेलना चुनते हैं तो यह खुला मतदान है। पर जब हम उन व्यक्तियों को चुनते हैं जो हमारे कानून बनाते हैं तो गुप्त मतदान करते हैं जिससे हम, बिना इस बात की फ़िक्र किये कि कोई नाराज़ हो जायेगा, अपना मत दे सकते हैं।

संसद सदस्य उन मसलों पर चर्चा करते हैं जिनका असर देश पर पड़ता है। वे नये कानून बना के मुश्किल समस्याओं का हल निकालते हैं। जब लोक सभा व राज्य सभा, दोनों किसी प्रस्तावित कानून के लिये हामी भरते हैं उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना ज़रूरी होता है।

लोक सभा में सबसे बड़े समूह का नेता आम तौर पर भारत का प्रधान मंत्री बनता है। प्रधान मंत्री भारत सरकार का मुखिया होता है और वह मंत्रियों को चुनता है।

भारत प्रदेशों में (यानी राज्यों में) बँटा है जैसे कि उत्तर प्रदेश, तमिल नाडु व गुजरात। राज्यों में भी कानून बनाने के लिये लोगों का चुनाव होता है। राज्यों की सरकार के मुखिया को मुख्य मंत्री कहते हैं और वह अपने मंत्रियों को चुनता है।

मंत्री अपनी सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से चलाते हैं। कुछ कामों की देखरेख भारत की केन्द्रीय सरकार करती है, कुछ की राज्यों की सरकार और कुछ काम दोनों की देखरेख में होते हैं। पुलिस की मदद से देश में शान्ति बनाए रखने का काम होता है तथा सैन्य बल (थल सेना, नौसेना व वायुसेना) देश की बाहरी सुरक्षा का बीड़ा उठाते हैं।

तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय** (प्राप्त कराने के लिये) : यानि सभी मामलों में लोगों के साथ इंसाफ़ और ईमानदारी का व्यवहार हो। इसमें यह भी शामिल हैं (i) आपके आसपास के लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें (ii) अपनी रोज़ी कमाने के लिये आपको बराबरी के अवसर दिए जाएँ (iii) आप स्वच्छंद रूप से मतदान कर सकें या आपके पक्ष में मतदान हो सके।

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता : यानि कई चीजों की आज़ादी जैसे अपनी सोच की, बोलने की, लिखने की, जहाँ चाहें वहाँ रहने की, अपनी पसन्द के दोस्त बनाने की, अपने धर्म व मान्यताओं की, यात्रा करने की व अपने समूह बनाने की आज़ादी, पर ध्यान रहे कि इन सब से किसी दूसरे को हानि न पहुँचे।

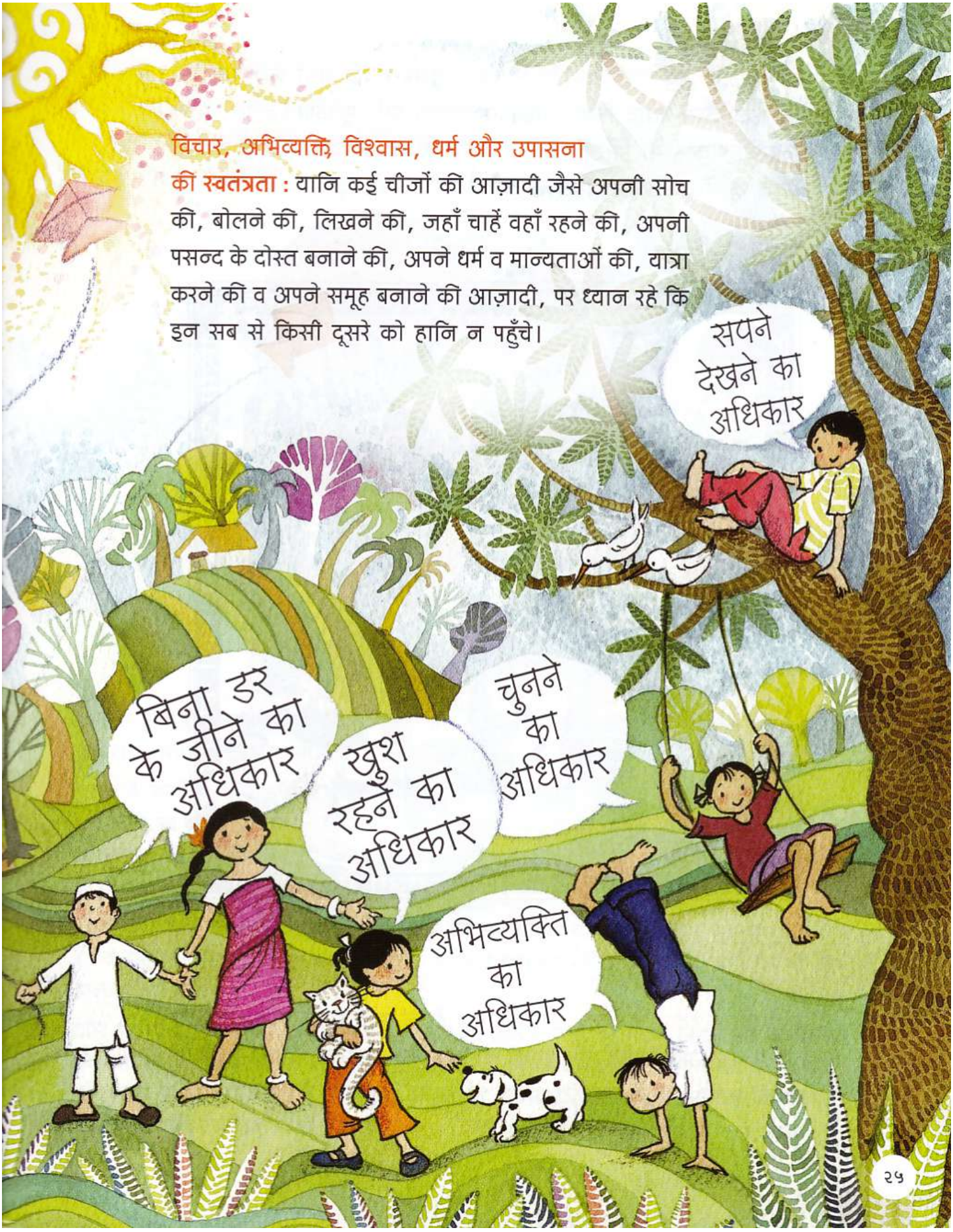

प्रतिष्ठा और अवसर की समता : इसका मतलब है कि सभी नागरिकों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए चाहे उनका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान कोई भी हो और चाहे वे अमीर हों या गरीब। हरेक को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिये।

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये : इसके मायने हैं कि सभी भारतीय एक परिवार की तरह रहें और भाईयों और बहनों की तरह एक दूसरे का ख़याल रखें चाहे उनकी भाषा, धर्म व संस्कृति अलग हों। इस 'अनेकता में एकता' से ही भारत एक मज़बूत देश बन सकता है।

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवंबर १९४९ ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं : यानि हम अपने को २६ नवंबर १९४९ को यह संविधान देते हैं।

सरकार ठीक से चल रही है या नहीं यह हम कैसे देखेंगे और इसमें कौन हमारी मदद करेगा? अदालत, संचार माध्यम या मीडिया और हम सब।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट व हर राज्य की अदालतों का यही काम है कि सब लोगों के साथ इंसाफ़ का और बराबरी का बर्ताव हो और कानून माने जाएँ। अदालत में निर्णय न्यायाधीश लेते हैं और उनका फ़र्ज़ है कि खुद वे ईमानदार हों व स्वयं न्याय का पालन करें।

टीवी, रेडियो, इन्टरनेट, अखबार व पत्रिकाओं को हम मीडिया या संचार माध्यम का नाम देते हैं। ये हमें बताते हैं कि देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और कभी-कभी यह भी कि हालात कैसे बेहतर हों।

और हम भी आपस में बात करके, पढ़ के, लिख के, ज़रूरी बातों को सबके सामने रख के जनमत बना सकते हैं जिससे कि सरकार पर सही काम करने का दबाव बना रहे। और चुनाव के समय यदि हमारे सांसद (या जिन्हें हमने मत दे के चुना हो) ईमानदारी और मेहनत से काम न कर रहे हों तो हम दूसरे उम्मीदवारों को चुन सकते हैं।

हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है यह देखने के बाद, आओ देखें कि हमारा संविधान कैसे लिखा गया?

९ दिसंबर १९४६, भारत की स्वतंत्रता से करीब आठ महीने पहले, महिलाओं और पुरुषों का एक मिलाजुला दल नई दिल्ली में एक सजे हुए हॉल में मिला। इसे संसद भवन का केन्द्रीय कक्ष कहते हैं। वे गंभीर चर्चा करके संविधान लिखने वाले थे।

क्योंकि वे संविधान(कॉन्सटिट्यूशन) लिखने के लिये इकट्ठे हुए थे उन्हें संवैधानिक सभा या कान्सटिट्युएन्ट एसेम्बली कहा गया। उन्होंने कई बैठकें करीं और चर्चाएँ हुईं और लगभग सभी ने कुछ ऐसे विचार रखे जो संविधान में शामिल किये जाएँ। पर संविधान लिखना या उसका मसौदा बनाना एक ख़ास काम है- इसलिये उन्होंने अपने ही बीच एक छोटे समूह, ड्राफ़्टिंग कमेटी, को इस काम का ज़िम्मा दिया। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे डा. भीमराओ रामजी अम्बेडकर। पूरा संविधान लिखने में व इस पर चर्चा करने में दो साल, ग्यारह महीने व सत्रह दिन लगे।

संविधान की तीन मूल प्रतियाँ हैं। एक को अंग्रेज़ी में हस्तलिखित किया गया। इसे कई कलाकारों ने सुन्दर चित्रों से सजाया और इन में शान्तिनिकेतन के नन्दलाल बोस अग्रणी थे। दूसरी प्रति भी अंग्रेज़ी में थी पर यह छपी थी। तीसरी, हिन्दी में हस्तलिखित थी जिसमें एक दूसरे कलाकार समूह ने चित्रांकन किया। यह सभी प्रतियाँ नई दिल्ली में संसद भवन के पुस्तकालय में, शीशे के केस में नियंत्रित तापमान में रखी गई हैं। अन्य प्रतियाँ अन्य जगहों पर देखी जा सकती हैं जैसे: दिल्ली में इन्डिया इन्टरनैशनल सेन्टर के पुस्तकालय व नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम व पुस्तकालय में।

हमारे संविधान को बनाने वाले कुछ जाने माने लोग

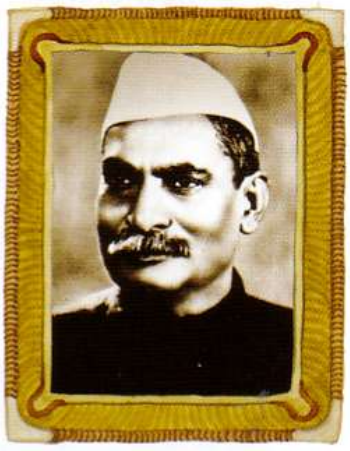

डा. राजेन्द्र प्रसाद

बिहार में जिराड़ी गाँव में ३ दिसंबर १८८४ में जन्में डा. राजेन्द्र प्रसाद। वे एक मेधावी छात्र थे और उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिये स्वर्ण पदक दिया गया था। गाँधी जी से प्रभावित, वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। वे संवैधानिक सभा के मुखिया थे। वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने व उन्होंने दो सत्रों तक इस पद पर काम किया। उनका निधन २८ फ़रवरी १९६३ में हुआ।

हमारे देश का राष्ट्रपति पाँच साल के सत्र के लिये चुना जाता है। डा. राजेन्द्र प्रसाद एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो दो बार चुने गये। हमारे यहाँ हिन्दू, मुसलमान व सिक्ख राष्ट्रपति हुए हैं। सन २००७ में पहली बार एक महिला को राष्ट्रपति का पद मिला।

पंडित जवाहरलाल नेहरू

उनका जन्म १४ नवंबर १८८९ में अलाहाबाद युनाइटेड प्रोविन्सेज़ (अब उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उन्होंने स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई इंगलैण्ड में करी और वे वकील बन गये। भारत लौट कर उन्होंने गाँधी जी के साथ स्वतंत्रता आन्दोलन को आगे बढ़ाया। १९४७ में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें पहला प्रधान मंत्री चुना गया। २७ मई १९६४ में उनकी मृत्यु हुई। उस दिन तक वे प्रधान मंत्री रहे। उन्होंने भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिये कड़ी मेहनत करी और उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। नेहरू जी को बच्चे बहुत प्रिय थे और प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था। उनके जन्म दिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।

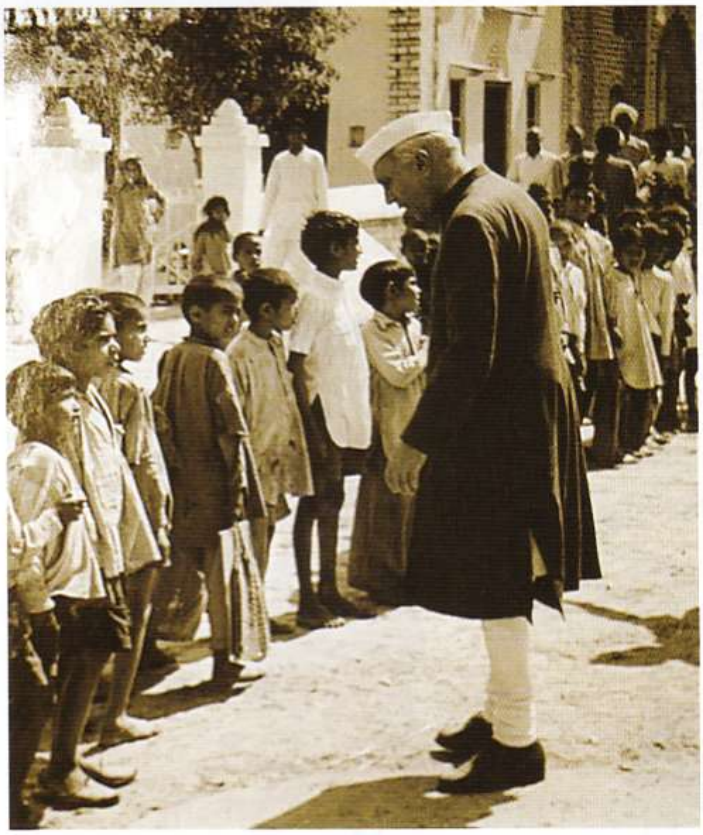

दिल्ली के आसपास ओलों से प्रभावित क्षेत्र में, किसानों के बच्चों से बात करते, जवाहरलाल नेहरू।

पंडित नेहरू की बेटी इन्दिरा गाँधी भी भारत की प्रधान मंत्री बनीं तथा उनके नाती राजीव गाँधी भी इस पद पर बैठे।

डा. भीमराओ रामजी अम्बेडकर

१४ अप्रैल १८९१, म्हाउ, सेन्ट्रल प्रॉविन्सेज़ (अब मध्य प्रदेश) में वे जन्मे। उनके पिता अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे। अम्बेडकर ने पढ़ाई करने के लिये अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें और कुछ और बच्चों को कक्षा के बाहर बिठाया जाता था। उन्हें औरों से दूर रखा जाता था क्योंकि वे जिस जाति से थे उसे 'अछूत' माना जाता था। शिक्षक न उनकी कोई मदद करता न उनके ऊपर कोई ध्यान देता। और बच्चों के लिये जो पीने का पानी रखा जाता, उसे भी उन्हें छूने की अनुमति नहीं थी।

पढ़ाई पूरी करने के लिये, पहले अम्बेडकर बम्बई (आज का मुंबई) गये और फिर इंगलैण्ड और अमरीका। वापस भारत आ कर उन्होंने वकालत करी। 'अछूत' माने जाने वाले लोगों के लिये जीवन कितना अन्याय व मुश्किलों से भरा था इसे वे कभी न भूले, और जिस वर्ण व्यवस्था के कारण ऐसा होता था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने संघर्ष किया। उनका बराबरी व भाईचारे में गहरा विश्वास था और संविधान लिखने में उनकी आवाज़ ताकतवर बन कर उभरी। वे भारत के पहले कानून मंत्री थे। अक्टूबर १९५६ में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनका देहान्त ६ दिसंबर १९५६ को हुआ।

डा. अम्बेडकर के तेरह भाई बहन थे! वे सब से छोटे थे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल

३१ अक्टूबर, १८७५ में गुजरात में नदियाद में उनका जन्म हुआ। छोटी उम्र में वे अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे। मेहनत से उन्होंने अपने आप पढ़ाई करी और वकील बने। गाँधी जी से प्रेरित हो कर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ गुजरात के किसानों को अहिंसक आन्दोलनों के लिये एकजुट किया। वे भारत के पहले उप-प्रधान मंत्री थे। उन्होंने ५०० से अधिक रजवाड़ों को भारत में मिल जाने के लिये तैयार करा। अपने दृढ़ चरित्र के कारण वे लौह पुरूष के नाम से जाने जाते थे। उनका निधन १५ दिसंबर १९५० में हुआ।

मौलाना अबुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद

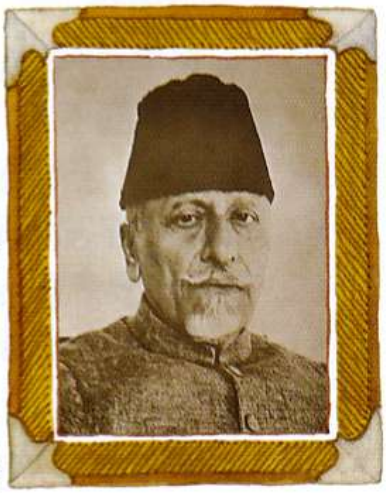

इन्हें मौलाना आज़ाद के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। उनका जन्म ११ नवंबर १८८८ में मक्का (अब साउदी अरब) में हुआ। उनके पिता इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान थे। मौलाना आज़ाद पत्रकार थे और उन्होंने एक उर्दू साप्ताहिक शुरू किया। उनका उपनाम 'आज़ाद' था जिसका मतलब आप जानते ही हैं। वे हिन्दू-मुसलमान एकता के बड़े समर्थक थे। उनका कहना था कि जैसे कोई हिन्दू गर्व से कह सकता है कि वह भारतीय है, वैसे ही कोई मुसलमान या ईसाई भी कह सकता है। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका देहान्त २२ फरवरी १९५८ में हुआ।

सैन्य बलों को छोड़कर बाकी लोगों के लिये भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न है। यह पीपल के पत्ते के आकार में है। सन २००८ तक ४१ भारत रत्न दिये जा चुके हैं जिसमें से सिर्फ़ ५ महिलाओं को मिले हैं। यहाँ जिन छह पुरुषों का ज़िक्र है, उन सभी को भारत रत्न का सम्मान मिला है जिनमें से कुछ को यह उनकी मृत्यु के बाद दिया गया है।

राजकुमारी अमृत कौर

वे २ फरवरी १८८९ में लखनऊ में युनाइटेड प्राविन्सेज़ (अब उत्तर प्रदेश) में जन्मीं। वे ईसाई थीं। उनकी स्कूल व कॉलेज की शिक्षा इंगलैण्ड में हुई। भारत लौटने पर वे गाँधी जी से बहुत प्रभावित हुईं और उनके साथ उन्होंने कई साल तक काम किया। वे स्वास्थ्य मंत्री बनीं और स्वतंत्र भारत में पहली महिला मंत्री भी। उन्होंने बालविवाह व पर्दा प्रथा (जिसमें एक औरत को मुँह ढक के रखने को कहा जाता है और घर से ज़्यादा बाहर न जाने को कहा जाता है) के विरोध में बहुत काम किया। वे चाहती थीं कि लड़के और लड़कियों को बराबरी का बर्ताव मिले और सभी बच्चे स्कूल जाएँ। २ अक्टूबर १९६४ में उनका देहान्त हुआ।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

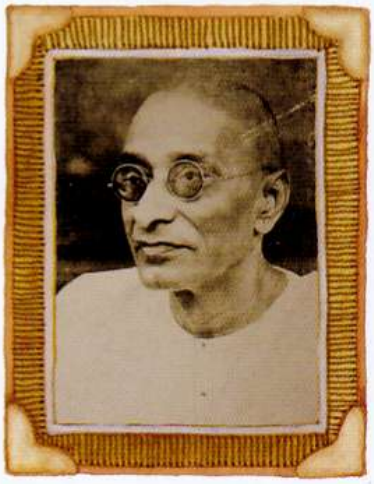

१०, दिसंबर १८७८ में सेलम ज़िले (तमिल नाडु) के थोरपल्ली गाँव में उनका जन्म हुआ। सी आर या राजा जी नाम से पुकारे जाने वाले उन्होंने छोटे शहर में और फिर बाद में मद्रास (अब चेन्नै) के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई करी। स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के साथ उन्होंने 'अछूत' व दलितों के जीवन को सुधारने के लिये बहुत काम किया। वे एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे और उस भव्य इमारत में, जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जानी जाती है, उन्होंने बहुत ही सादगी से जीवन बिताया। वे अपने कपड़े खुद धोते थे और अपने जूते भी खुद ही चमकाते थे। वे विश्व शान्ति यानि पूरी दुनिया में शान्ति में गहरा विश्वास रखते थे। वे ९४ साल के हो कर २५ दिसंबर १९७२ में गुज़रे।

संवैधानिक सभा ने २६ नवंबर १९४९ को संविधान को मान्यता दी (इसे अब कानून दिवस कहा जाता है)। २४ जनवरी १९५० को संवैधानिक सभा के २८४ सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये।

दो दिन बाद २६ जनवरी (जिसे अब गणतन्त्र दिवस कहा जाता है) से हम भारत के संविधान के कानूनों को मानने लगे। यह उस दिन के ठीक बीस साल बाद था जब जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों से 'पूर्ण स्वराज' या पूरी आज़ादी की माँग की थी।

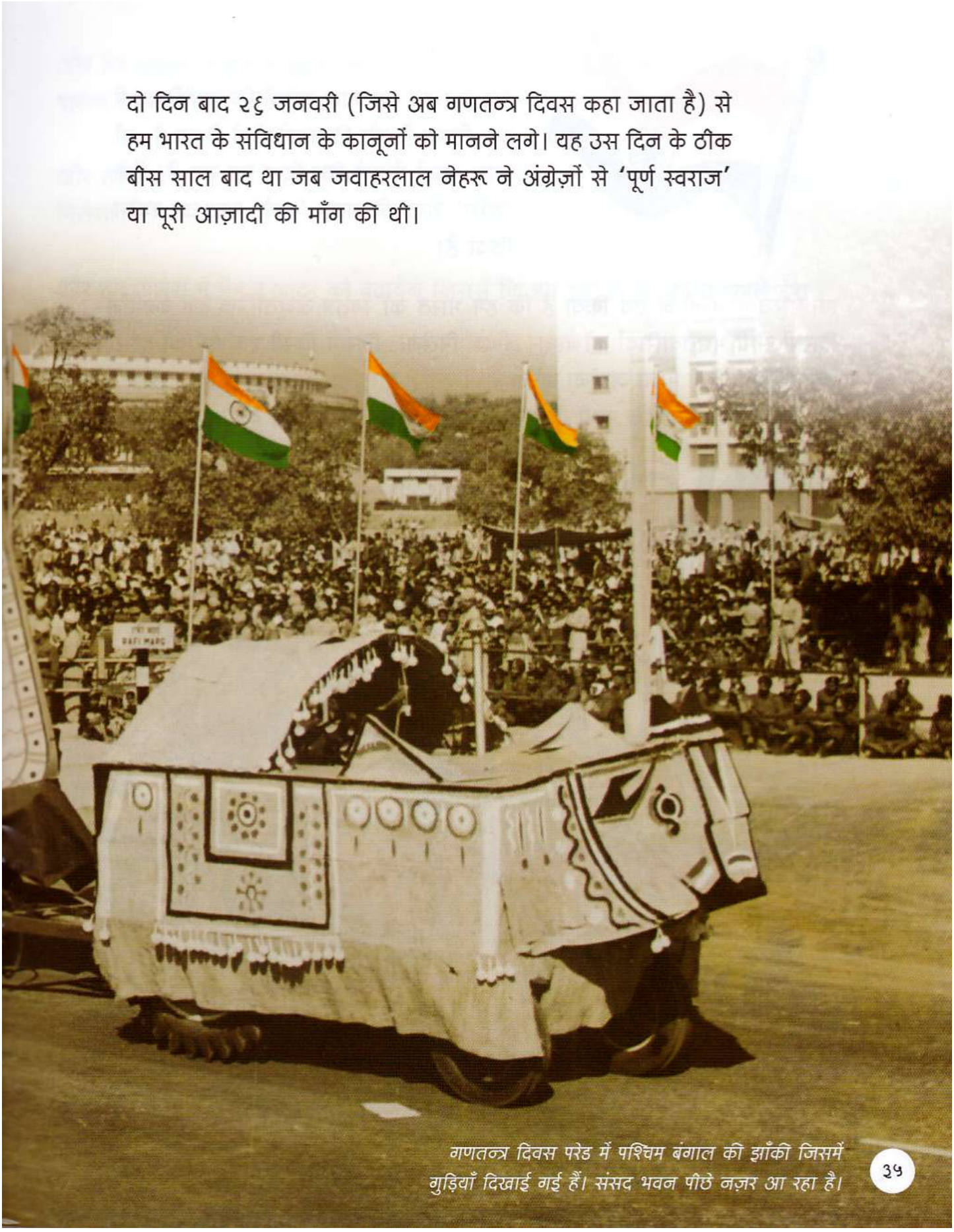

गणतन्त्र दिवस परेड में पश्चिम बंगाल की झाँकी जिसमें गुड़ियाँ दिखाई गई हैं। संसद भवन पीछे नज़र आ रहा है।

अब जब हम यह जान गये हैं कि उद्देशिका में क्या लिखा है और किन लोगों ने लिखा है, तो सरल शब्दों में इसे फिर दिया जा रहा है। मैंने 'लोग' शब्द की जगह 'बच्चे' शब्द का प्रयोग किया है।

हम भारत के बच्चों ने तय किया है कि हम भारत को **स्वतंत्र जनतांत्रिक देश** बनाएँगे जिसमें सभी भारतवासियों को **बेहतर जीवन** मिलेगा, जिसमें किसी एक धर्म को दूसरे से ज़्यादा अहम नहीं माना जायेगा बल्कि **सभी धर्मों व मान्यताओं का आदर होगा** और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी के साथ **इंसाफ़ और ईमानदारी** का बर्ताव हो।

और हम सबको सोचने व करने की **आज़ादी** के साथ-साथ अपने धर्म व मान्यता का पालन करने की छूट होगी।

और हम सब **बराबर** होंगे और सभी को अपना जीवन बेहतर बनाने का बराबर अवसर मिलेगा।

और हम आपस में **प्रेम व आदर** को बढ़ायेंगे जिससे कि हम एक हो कर रहें व अपने देश की परवाह करें।

और हम अब अपने आप को यह संविधान देते हैं।

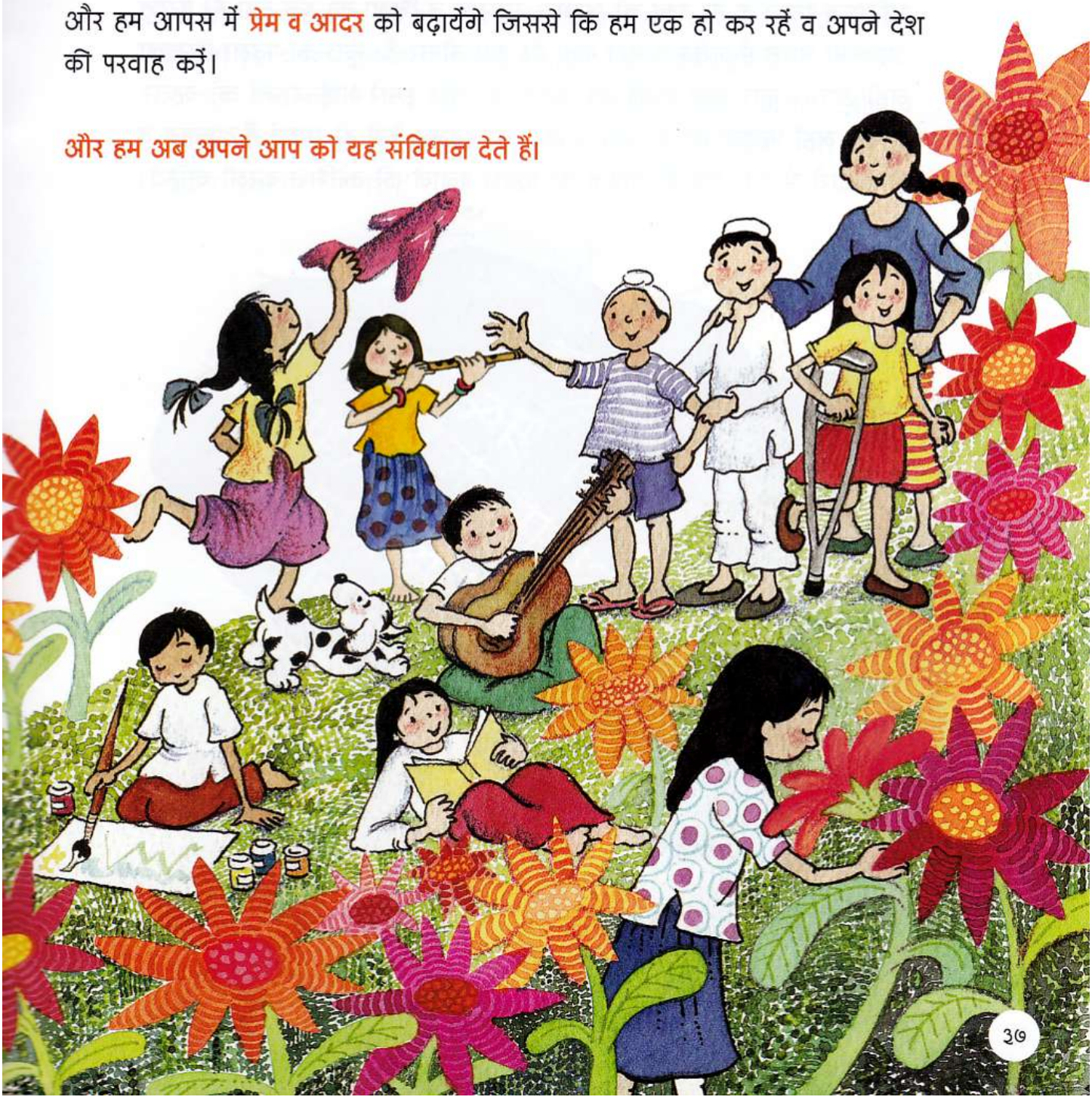

क्या करना चाहिये?

हमें अपना संविधान मिले ६० साल से ज़्यादा हो चुके हैं पर उसके वादों को पूरा करने के लिये हमें अभी भी मेहनत करनी है।

संविधान भारत के हर बच्चे को आहार, स्वास्थ्य व शिक्षा का हक़ देता है। परन्तु आज भी भारत में गरीब व भूखे बच्चे हैं। कुछ बीमार हैं। कुछ को पढ़ना लिखना नहीं आता। कुछ काम करने को मजबूर हैं। यदि हमारे भाई-बहनों को बेहतर जीवन नहीं मिलता तो हम सब बराबर और स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? न्याय व ईमानदारी से हमें, सब के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

गाँधी जी ने कहा था 'वह बदलाव जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो वह स्वयं अपने में लाओ' यदि हम अपने आस-पास के लोगों को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा जिससे कि हम उतने अच्छे, दयालु, न्यायप्रिय, ईमानदार व बहादुर बनें जितना हम दूसरों को बनाना चाहते हैं।

हमें यह देखना होगा कि हम एक दूसरे की मदद करें व एक दूसरे से प्रेम करें जिससे कि भारत वास्तव में शान्त व सुखी स्थान बने। हम जहाँ रहते हैं या जहाँ हम जाते हैं, हम उन जगहों, हमारे गाँव व शहर, जंगल, झील व नदियाँ, उन सब का पूरा ख़याल रखें। तब हम गर्व से कह सकेंगे 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा!'

और अंत में...

उद्देशिका के भाव को याद रख सको उसके लिये यह छोटी सी कविता है।

चलो बनें स्वतंत्र, न्यायपूर्ण, समान
अपनी विविधता को मानें अपनी शान
स्वतंत्र हो सोच, स्वतंत्र प्रार्थना
साहस हो स्वतंत्र, स्वतंत्र कल्पना
स्वतंत्र हों हम, प्यार और परवाह करने के लिये
चलो बनें स्वतंत्र, न्यायपूर्ण, समान
अपनी विविधता को मानकर अपनी शान।

चलो स्वतंत्र, समान, न्यायपूर्ण बनें
मिलकर करें विश्वास और स्नेह
शक्ति हो हममें कमज़ोरों का हाथ बटाने की
मदद करने, समझने-समझाने की
इस धरती को खुशहाल बनाने की
चलो स्वतंत्र, समान, न्यायपूर्ण बनें
मिलकर करें विश्वास और स्नेह।

इस कविता का हिन्दी अनुवाद मोहिनी गुप्ता ने किया है।

यह चित्र नन्दिनी सेठ ने बनाया है।

PRATHAM BOOKS

प्रथम बुक्स एक ग़ैर मुनाफ़ा प्रकाशन संस्था है। इसकी स्थापना सन २००४ में भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिए उच्च स्तर व वाजिब दाम की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए हुई। हमारी पुस्तकों ने लाखों बच्चों तक पढ़ने का आनन्द पहुँचाया है। 'प्रत्येक बच्चे के हाथ में एक किताब' पहुँचाने के हमारे उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता कीजिये। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.prathambooks.org** देखिये।

PRATHAM BOOKS
donate-a-book

डोनेट-अ-बुक प्रथम बुक्स का एक अनोखा सामूहिक कोष यानी क्राउडफन्डिंग मंच है जो विभिन्न संस्थाओं को बच्चों के पुस्तकालय स्थापित करने के लिए धन एकत्रित करने में सहायता करता है। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का आनन्द मिलना चाहिए। आप पुस्तकालय स्थापित करने के लिए धन देकर या इसके लिए एक ऑनलाइन मुहिम चलाकर देश के बच्चों के पढ़ने में बढ़ावा दे सकते हैं। **www.donateabook.org.in**

PRATHAM BOOKS
storyweaver

प्रथम बुक्स का स्टोरीवीवर एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ भारतीय और विदेशी भाषाओं में बच्चों की कहानियाँ संकलित हैं ताकि हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में अनगिनत कहानियाँ पढ़ने का आनन्द प्राप्त होता रहे। इन कहानियों को पढ़ा जा सकता है, अनुवाद किया जा सकता है, नये प्रारूपों में ढाला जा सकता है और बिना किसी मूल्य के डाउनलोड भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के साहित्य और प्रकाशन के एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ है। कहानियों के जादू का आनन्द लेने के लिए देखिये **www.storyweaver.org.in**

लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला जज थीं और भारत के एक राज्य की पहली महिला उच्च न्यायाधीश। १९९२ में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायाधीश के पद से अवकाश प्राप्त किया था। वे भारत के पंद्रहवें लॉ कमिशन की सदस्या थीं व बच्चों के लिये मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा की रपट का पर उन्होंने काम किया था। कई स्कूलों व कॉलेजों में वे मानव अधिकार से जुड़े काम में जुटी रहीं। सन् २००३ में उनकी आत्मकथा *ऑन बैलेन्स* पेंग्युइन ने प्रकाशित की थी जिसे बहुत सराहा गया। हिन्दी में अनूदित उनकी आत्मकथा का शीर्षक है घर और अदालत।

बिन्दिया थापर की शिक्षा एक वास्तुविद के रूप में हुई पर उन्होंने चित्रकार बनना पसन्द किया। उन्होंने अनेक प्रकार की किताबों का चित्रांकन व रूपांकन किया है और बच्चों के लिये चित्रकारी को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। वे दिल्ली की निवासी हैं।

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ ने संविधान की उद्देशिका के शब्दों को छोटे बच्चों के समझने योग्य बनाया है। गणराज्य क्या है, हम पंथनिरपेक्ष क्यों हैं, लोकतंत्र क्या है? इस बात को मानते हुए कि संविधान के बारे में जानने के लिए कोई आयु छोटी नहीं है, उन्होंने इन विचारों को सभी के लिए बड़े ही सरल और मज़ेदार तरीके से समझाया है। अनेक छायाचित्रों और विख्यात चित्रकार बिंदिया थापर द्वारा रचित आकर्षक चित्रों तथा सरस बातों से सजी, 'हम भारत के बच्चे' प्रत्येक नन्हे भारतीय नागरिक को अवश्य पढ़नी चाहिए।

स्तरवार पढ़ना सीखें। पठन स्तर ४ की पुस्तक।

PRATHAM BOOKS
प्रथम बुक्स एक ग़ैर-मुनाफा संस्था है जो बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ाने के लिये अनेक भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है।
www.prathambooks.org
We, the Children of India
(Hindi)
MRP: ₹ 125.00
ISBN 978-81-8479-435-9